न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 40/2024 तारीख रजू 02.04.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
..........आवेदक

बनाम

1.सौभाग मल जैन पुत्र श्री सूरज मल जैन (विक्रेता) मैसर्स सुनील इण्डस्ट्रीज, चेतक पार्क, पुरानी ट्रक यूनियन बजरिया, सवाई माधोपुर निवासी– प्लाट नं. 33 जवाहर नगर, गुलाब बाग, बजरिया, सवाई माधोपुर

2.मनोज कुमार जैन पुत्र श्री सौभाग मल जैन (प्रोपराईटर) मैसर्स सुनील इण्डस्ट्रीज, चेतक पार्क, पुरानी ट्रक यूनियन बजरिया, सवाई माधोपुर .... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(v)/51 एवं 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 21.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल तगाया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 21.07.2023 को 03.00 ए.एम. पर चेतक पार्क बजरिया, सवाई माधोपुर स्थित मैसर्स सुनील इण्डस्ट्रीज पहुंचा मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। व्यक्ति ने अपना नाम सौभाग मल जैन पुत्र श्री सूरज मल जैन होना बताया एवं फर्म का विक्रेता व मनोज कुमार पुत्र श्री सौभाग मल जैन को प्रोपराईटर होना बताया। श्री सौभाग मल जैन ने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन व आधार कार्ड मौके पर जाहिर नहीं होना बताया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु Refined Palmolein Oil (Loose) रखा हुआ था। Refined Palmolein Oil (Loose) में गुणवत्ता/मिलावट का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच Refined Palmolein Oil (Loose) में से हिलामिलाकर 1600 एमएल Refined Palmolein Oil (Loose) एक स्टील की साफ बर्तन में खरीदकर उसकी कीमत 160/– रूपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान राजकुमार वर्मा के हस्ताक्षर करवाये एव तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1600 एमएल Refined Palmolein Oil (Loose) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा Refined Palmolein Oil (Loose) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयर टाईट बन्द किया तथा चार लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-2943** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2943 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सौभाग मल जैन (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति सौभाग मल जैन (विक्रेता) को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/930 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3027/एक्ट/2023/3075 दिनांक 04.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Refined Palmolein Oil (Loose) Substandard as it does not conform to the prescribed Standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 due to presence of extaneous suspended matter, प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड Refined Palmolein Oil (Loose) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त द्वारा प्रकरण का जवाब पेश कर प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निरस्तारण करने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड Refined Palmolein Oil (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त से Refined Palmolein Oil (Loose) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी ने जांच के दौरान पामोलिन रिफाइण्ड का खरीद का बिल नम्बर केआई–23/227 दिनांक 09.08.2023 पेश किया जिसका ब्यौरा खाद्य निरीक्षक ने नहीं दिया। श्रीमानजी बिल देने के उपरान्त भी निरीक्षक ने निर्माणकर्ता को पार्टी नहीं बनाकर केवल प्रार्थी को पार्टी बनाया है जो गलत है। प्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर कोई तरह की मिलावट नहीं करता है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जबाव स्वीकार करते हुए प्रकरण निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3027/एक्ट/2023/3075 दिनांक 04.08.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Refined Palmolein Oil (Loose) सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। **अभियुक्त द्वारा यह कथन कि प्रार्थी ने जांच के दौरान पामोलिन रिफाइण्ड का खरीद का बिल नम्बर केआई–23/227 दिनांक 09.08.2023 पेश किया किन्तु खाद्य निरीक्षक द्वारा कम्पनी को पार्टी नहीं बनाकर केवल प्रार्थी को पार्टी बनाया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.07.2023 को वास्ते जांच नमूना लिया तथा जयपुर की लेब रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ** Refined Palmolein Oil (Loose) **सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जबकि अभियुक्त द्वारा पेश बिल दिनांक 09.08.2023, सेम्पल संग्रहण दिनांक 21.07.2023 तथा लेब जांच रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 के बाद का है।** लेब रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Loose) में Blackish coloured suspended matter found present के कारण खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Loose) सबस्टेण्डर्ड पाया गया है जो कि मुताबिक रिपोर्ट उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य कै कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Refined Palmolein Oil (Loose) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **21.06.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर